दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9.4.18 को पेश हो। 7.3.18	
09.04.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये पर साक्ष्य पेश नही किये। अतः आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नही किया तो साक्ष्य स्वत ही बन्द हो जायेगा पत्रावली दिनांक 16.04.18 को पेश हो। 9.4.18	
16.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी की ओर से विमला पत्नी रामस्वरूप ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल कर पत्रावली शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 30.5.18 को पेश हो। 16.4.18	विमला
25/4/18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल हिम्मतपुरा (30.5.18) में पेश हो।	
30.05.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल हिम्मतपुरा मे पेश हुई। प्रतिवादिया सं. 6 स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा मे की है। उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी	रामप्यारी अनिता मीना सरपंच ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा पं०स० बस्सी जिला जयपुर (राज०

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		ली गयी। मौके पर ही केम्प कोर्ट मे ही तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिवादिया सं. 6 को वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी लेने तथा मौके पर केम्प कोर्ट मे तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन करने तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 33/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा ग्राम बल्लूपुरा तह-बस्सी जयपुर के सम्बन्ध मे जमाबंदी व पत्रावली मे प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि मे से अपना हिस्सा प्रतिवादिया सं. 6 को बेचान किया जा चुका है तथा उक्त विक्रयपत्र को किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त भी नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे वादीयागण द्वारा चाही गई रीलिफ दिया जाना उचित नही समझते है। अत: वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली

फर्द अहकाम

बनाम

यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		नम्बर से कम हो। आज दिनांक 30.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट हिम्मतपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया। 30.5.18	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. विमला पुत्री रामस्वरुप
2. सीमा पुत्री रामस्वरुप
3. उर्मिला पुत्री रामस्वरुप
4. इन्द्रा पुत्री रामस्वरुप
5. सन्नू पुत्री रामस्वरुप
6. गुड्डी पुत्री भगवान सहाय
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी तूंगा
   तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. रामस्वरुप पुत्र स्व. श्रीनारायण
2. कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्रीनारायण
3. भगवान सहाय पुत्र स्व. श्रीनारायण
4. दामोदर पुत्र स्व. श्रीनारायण
5. बनवारी पुत्र रामस्वरुप
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी तूंगी
   तह. बस्सी।
6. रामप्यारी देवी पत्नि श्री बाबूलाल
   जाति रैगर निवासी ग्राम श्योपुर तह.
   सांगानेर जिला जयपुर।
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार
   बस्सी।
8. उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.05.2018

मुकदमा नम्बर 30/16

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 33/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम बल्लूपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में जमाबंदी व पत्रावली में प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 लगा 3 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में से अपना हिस्सा प्रतिवादिया सं. 6 को बेचान किया जा चुका है तथा उक्त विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त भी नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीयागण द्वारा चाही गई रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते हे। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से खारिज किया जाता है। ....निजी..................मुबलिक......................बाबत..खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2018 को जारी किया गया।

दस्तख्त.............................30.5.18
ओहदा.............................
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

मोहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी ावा ाम्प			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प		

Contd--2

तनामा			बकालतनामा		
वहत			स्टाम्प वहत		
			सबूत		
ता वकील			महन्ता वकील		
र्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
स			फीस		
मिश्नर			कमिश्नर		
ाबत इजराय			बाबत इजराय		
ुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी